(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 230 / 2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2024 / 515

1. मेहरचंद पुत्र झाबरमल उम्र 66 साल
2. धर्मपाल पुत्र श्री झाबरमल उम्र 70 साल जाति नाई निवासी माकडो तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

..................आवेदकगण

बनाम

1. अनिता पुत्री रामसिंह उम्र 30 साल
2. कपिल पुत्र रामसिंह उम्र 40 साल
3. कृष्णा पत्नी स्व० श्री गंगाधर उम्र 60 साल
4. पवन पुत्र स्व० श्री गंगाधर उम्र 35 साल
5. विक्रम पुत्र स्व० श्री गंगाधर उम्र 33 साल
6. मंजू देवी पुत्री स्व० श्री गंगाधर उम्र 36 साल
7. गोकल पुत्र कन्हैया उम्र 62 साल
8. ताराचन्द पुत्र ईश्वर उम्र 70 साल
9. त्रिवेणी पुत्नी दुलीचन्द उम्र 75 साल
10. निर्मला पत्नी रामसिंह उम्र 60 साल
11. पतासी पुत्री श्योचन्द उम्र 55 साल
12. बाबूलाल पुत्र दुलीचन्द उम्र 50 साल
13. मुकेश पुत्र रामसिंह उम्र 21 साल
14. मदन पुत्र दुलीचन्द उम्र 40 साल
15. मुन्नी पुत्री कन्हैया उम्र 53 साल
16. मनोज पुत्र रामसिंह उम्र 25 साल
17. महेन्द्र पुत्र दुलीचन्द उम्र 50 साल
18. महीपाल पुत्र कन्हैया उम्र 70 साल
19. राजो पुत्री कन्हैया उम्र 55 साल
20. रोहिताश पुत्र कन्हैया उम्र 50 साल
21. लाडो पुत्री दुलीचन्द उम्र 40 साल
22. सहीराम पुत्र कन्हैया उम्र 60 साल
23. जयप्रकाश पुत्र स्व० श्री होशियार उम्र 48 साल

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

24. सुमेर पुत्र होशियार उम्र 42 साल
25. विजेन्द्र पुत्र होशियार उम्र 40 साल
26. दिनेश पुत्र होशियार उम्र 38 साल
27. भानी पत्नी होशियार उम्र 70 साल
28. कमला पुत्री तिलोकचन्द उम्र 50 साल
29. मुन्नी पुत्री तिलोकचन्द उम्र 48 साल
30. सुभाष पुत्र मालीराम उम्र 60 साल
31. उमेद पुत्र मालीराम उम्र 56 साल
32. भगवानी देवी पत्नी मालीराम उम्र 80 साल
33. राजकुमार पुत्र तिलोकचन्द उम्र 45 साल
34. रोशन पुत्र राजेश उम्र 28 साल
35. सुरेन्द्र पुत्र राजेश उम्र 25 साल
36. संजय पुत्र तिलोकचन्द उम्र 50 साल जाति समस्त नाई निवासी माकड़ो तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)।
37. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज०)।

................अनावेदकगण

दावा बाबतः– खाता विभाजन

–:निर्णयः– दिनांकः– 11/11/25

(उपखण्ड अधिकारी जिला झुंझुनूं (राज.))

(1). वादी का वादपत्र रहा किः–

1. यह कि वाके ग्राम माकड़ो स्थित काश्त की भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता स० 59 के खसरा न0 344 रकबा 1.41 है0 ख0न0 353 रकबा 0.73 है० ख0न0 435 रकबा 0.49 है० ख0न0 439 रकबा 0.52 है० ख0न0 440 रकबा 0.50 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 है० के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 28 दर्ज रिकॉर्ड काश्तकार हैं। इस भूमि में वादी स० 1 का हिस्सा 1/6 भाग मात्र अर्थात् 0.6083 है० व वादी स0 2 का हिस्सा 1/6 भाग अर्थात् 0.6083 है० दर्ज रिकॉर्ड है। शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों का हैं।

   इसी प्रकार ग्राम माकड़ो स्थित अन्य खातों की भूमि हाल जमाबन्दी सम्वत् 2075 से 2078 के खाता संख्या 166 के खसरा न0 356 रकबा 0.81 है० ख0न0 431 रकबा 0.76 है० ख0न0 432 रकबा 0.78 है० ख0न0 440 रकबा 0.97 है० ख0न0 515 रकबा 0.80 है० ख0न0 517 रकबा 0.40 है० ख0न0 518 रकबा 0.31 है0 कूल किता 7 कुल रकबा 4.89 है० के खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 36 दर्ज रिकॉर्ड हैं। इस भूमि में वादी संख्या 1 का हिस्सा 1/16 भाग अर्थात् 0.3056 व

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:23 IST
Reason: Self Attested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/16 भाग अर्थात् 0.3056 है० दर्ज रिकॉर्ड है शेष हिस्सा अन्य सह खातेदारों का है।

इस प्रकार उपरोक्त वर्णित भूमि में वादी स० 1 का कुल हिस्सा 0.6083+0.3056 = 0.9139 है० व वादी स० 2 कुल हिस्सा 0.6083+0.3056 = 0.9139 है० है जिस पर वे ख0न0 344 रकबा 1.41 है0 व ख0न0 353 रकबा 0.73 है0 में काबिज काश्त हैं।

2. यह कि वादीगण व प्रतिवादी स० 1 लगायत 36 ने अपनी उपरोक्त जोत का मौके पर करीब 40 50 वर्षों पूर्व बाहमी बंटवारा कर लिया था तथा बंटवारे के अनुसार वादी स० 1 अपना 0.9139 है० सम्पूर्ण ख0न0 344,353 में काश्त करता है व वादी स० 2 अपना सम्पूर्ण रकबा 0.9139 है० ख0न0 344 व 353 में काश्त करता है जो करीब 40 50 वर्षों से लगातार शान्तिपूर्वक इसी प्रकार सभी काश्तकार अपनी सहमति से काबिज काश्त चले आ रहे हैं।

3. यह कि जमाबन्दी में वादी स० 1 का नाम खाता संख्या 59 में मीर सिंह दर्ज है जो गलत है जिसे दुरूस्त किया जाकर मेहर चन्द पुत्र झाबरमल व खाता संख्या 59 व 166 में वादी संख्या 2 का नाम धन्नालाल व धर्मा दर्ज है जिसे दुरूस्त कर धर्मपाल पुत्र झाबरमल किया जावें।

4. यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण ने चुंकी अपनी भूमि का बाहमी बंटवारा कर लिया था लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में भूमि अभी शामलाती खातेदारी में ही चली आ रही है जिसका विधिवत् बंटवारा नही हुआ है।

5. यह कि वादीगण को अपनी कब्जे काश्त की भूमि जहां वे बाहमी बंटवारे के अनुसार कदीमी काश्त करते आ रहे हैं। में पेड़ पौधे आदि लगाकर व समतलीकरण कर कृषि सुधार करना चाहते हैं। लेकिन राजस्व रिकॉर्ड में खाता शामलाती में दर्ज होने से उन्हें ऐसा करने में भारी दिक्कत आ रही है जिसके लिये प्रतिवादीगण को अपनी–अपनी जोत का सहमति से खाता विभाजन करवा लेने बाबत कहा लेकिन जमाबन्दी के खातेदार संख्या में अधिक होने व ज्यादातर नौकरीपेशा बाहर रहने के कारण सभी की सहमति नहीं बन सकी इसलिये यह दावा बाबत खाता विभाजन पेश किया जाना आवश्यक हुआ।

6. यह कि दावे के लिये आधार विवाद गत सप्ताह वादीगण ने प्रतिवादीगण से अपनी अपनी भूमि का हिस्से व कब्जे अनुसार खाता विभाजन करवाने के लिये कहने पर ज्यादातर खातेदार नौकरी पेशा बाहर होने के [illegible] की सहमति ना बनने से पैदा हुआ जिसके बाद यह दावा खाता विभाजन [illegible] जाना आवश्यक हुआ जो अन्दर मियाद पेश है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

7. यह कि वाद वर्णित भूमि ग्राम माकड़ो तहसील बुहाना में स्थित है जो न्यायालय श्रीमान् के क्षेत्राधिकार में होने से वाद सुनवाई बाबत श्रीमान जी को क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

8. यह कि दावा पूर्ण कोर्ट फीश पर प्रस्तुत किया गया है।

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

9. यह कि दावे में नवीन रिकॅर्ड प्रस्तुत किया गया है जिसके समर्थन में वादी संख्या 1 का शपथ पत्र संलग्न है।

वादी द्वारा अनुतोष चाहा गया कि:–

1. यह कि वाके ग्राम माकडो तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खातेदारी काश्त की भूमि हाल खाता संख्या 59 के खसरा नं0 344 रकबा 1.41 है० ख0 न0 353 रकबा 0.73 है० ख0 न0 435 रकबा 0.49 है० ख0 न0 439 रकबा 0.52 है० ख0 न0 440 रकबा 0.50 है० कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 है० में वादी स० 1 का 1/6 भाग हिस्सा अर्थात् 0.6083 है० व वादी संख्या 2 का हिस्सा 1/6 भाग अर्थात् 0.6083 है० व खाता संख्या 166 के खसरा न० 356 रकबा 0.81 है० ख0 न0 431 रकबा 0.76 है० ख0 न0 432 रकबा 0.78 है० ख0 न0 446 रकबा 0.97 है० ख० न० 515 रकबा 0.80 है० ख० न० 617 रकबा 0.46 है० ख0 न0 518 रकबा 0.31 है० कुल किता 7 कुल रकबा 4.89 है० में वादी संख्या 1 का 1/16 भाग अर्थात् 0.3056 है० व वादी संख्या 2 हिस्सा 1/16 भाग अर्थात् 0.3056 है० इस प्रकार वादी स० 1 का दोनों जमाबंदीयों में कुल हिस्सा 0.9139 है0 व वादी स० 2 का कुल हिस्सा 0.9139 है० जो वादी स० 1 व 2 ख0न0 344 व 353 में काश्त करते है का कब्जे काश्त अनुसार खाता विभाजन किया जाये व बाद विभाजन लगान भी अलग से कायम की जावें।
2. यह कि खाता स० 59 में वादी स० 1 का नाम मीर सिंह की बजाय मेहरचन्द पुत्र झाबरमल दर्ज किया जायें व वादी स० 2 का नाम धन्नालाल पुत्र झाबर की बजाय धर्मपाल पुत्र झाबरमल दर्ज किया जावें। इसके अलावा खाता स० 166 में वादी स० 2 का नाम धर्मा पुत्र झाबर की बजाय धर्मपाल पुत्र झाबरमल दर्ज किये जाने के आदेश दिये जायें।

उपखण्ड अधिकारी ★ बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज०) ★

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी की गई। प्रतिवादीगण की सम्यक् तामिल हुई। तथा प्रतिवादीगण बावजूद तामील होने पर अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में दिनांक 18.06.2025 को लाई गई।

पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं बहस पर मनन किया गया। दावा खाता विभाजन का है। अतः न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन प्राथमिक डिक्री दिनांक 18.06.2025 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 711 दिनांक 18.08.2025 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 366 दिनांक 19.09.2025 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया । किसी ने ऐतराज पेश नही किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दरस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम माकड़ो स्थित भूमि हाल खाता संख्या 59, 166 में वादीगण के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

<u>–::आदेश::–</u>

'' न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माकडो तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खातेदारी काश्त की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 अनुसार हाल खाता संख्या 59 के ख0 नं0 344 रकबा 1.41 है०, ख0 न0 353 रकबा 0.73 है०, ख0 न0 435 रकबा 0.49 है०, ख0 न0 439 रकबा 0.52 है०, ख0 न0 440 रकबा 0.50 है०, कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 है०, व खाता संख्या 166 के ख0 न० 356 रकबा 0.81 है०, ख0 न0 431 रकबा 0.76 है०, ख0 न0 432 रकबा 0.78 है०, ख0 न0 446 रकबा 0.97 है०, ख० न० 515 रकबा 0.80 है०, ख० न० 617 रकबा 0.46 है०, ख0 न0 518 रकबा 0.31 है०, कुल किता 7 कुल रकबा 4.89 है०, भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। ''

उपखण्ड अधिकारी बुहाना जिला झुंझुनूं (राज.)

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 11/11/2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरेआम सुनाया गया।

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी एवं
जिला झुन्झुनूं (राज.)
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारी:– पूनम मीणा, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 230/2024 जीसीएमएस नम्बर :– 2024/515

मेहरचन्द आदि बनाम अनिता आदि

दावा बाबत – खाता विभाजन

–:निर्णय:–

वादीया की ओर से **श्री नरेश भारद्वाज एड्वोकेट** की उपस्थिति एवं शेष प्रतिवादीगण की अनुपस्थिती में इस वाद को **पूनम मीणा उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी बाबत खाता व लगान विभाजन कर डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम माकडो तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं राज0 स्थित खातेदारी काश्त की भूमि जमाबन्दी सम्वत 2075 से 2078 अनुसार हाल खाता संख्या 59 के ख0 नं0 344 रकबा 1.41 है0, ख0 न0 353 रकबा 0.73 है0, ख0 न0 435 रकबा 0.49 है0, ख0 न0 439 रकबा 0.52 है0, ख0 न0 440 रकबा 0.50 है0, कुल किता 5 कुल रकबा 3.65 है0, व खाता संख्या 166 के ख0 न० 356 रकबा 0.81 है0, ख0 न0 431 रकबा 0.76 है0, ख0 न0 432 रकबा 0.78 है0, ख0 न0 446 रकबा 0.97 है0, ख० न० 515 रकबा 0.80 है0, ख० न० 617 रकबा 0.46 है0, ख0 न0 518 रकबा 0.31 है0, कुल किता 7 कुल रकबा 4.89 है0, भूमि में वादीगण का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाना उचित पाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो। "

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 11/11/25 को मेरे हस्ताक्षर से एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Poonam Meena
Date: 2025.12.10 16:17:23 IST
Reason: SelfAttested

(पूनम मीणा)
उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनू (राज.)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना